न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–4, अजमेर
पीठासीन अधिकारी– ऋतु मीणा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
फौजदारी निगरानी संख्या –96/2026

रोशनलाल पुत्र श्री सोहनलाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी 387/2, कमला बावड़ी, गंज, अजमेर।

... निगरानीकार/प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर।
2– सोहनलाल पुत्र स्व. श्री पन्नालाल, उम्र 90 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 367/2, कमला बावड़ी, गंज, अजमेर।
3– जानकीलाल पुत्र सोहनलाल, उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 367/2, कमला बावड़ी, गंज, अजमेर।

... गैर निगरानीकार

दाण्डिक निगरानी अंतर्गत धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 28.03.2026, जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगर पश्चिम, अजमेर के द्वारा सी.आई.एस. संख्या 656/2026 बउनवान रोशनलाल बनाम सोहनलाल व अन्य में पारित किया गया, से व्यथित होकर।

उपस्थिति:–
1. श्री प्रद्युमन गौड़, विद्वान अधिवक्ता वास्ते निगरानीकार
2. श्री गुलाम नजमी फारूकी, एपीओ वास्ते गैर निगरानीकार सं. 1
2. श्री दिवाकर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते गैर निगरानीकार 2 व 3

आदेश दिनांक 21.07.2026

1– निगरानीकार की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगर पश्चिम, अजमेर द्वारा सी.आई.एस. संख्या 656/2026 बउनवान रोशनलाल बनाम सोहनलाल में पारित आदेश

Authenticated Document

दिनांक 28.03.2026 के विरूद्ध यह निगरानी याचिका श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कि विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुई।

2– निगरानी याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है, उसमें दर्शाया है कि प्रत्यर्थीगण सं. 1 व 2 ने निगरानीकर्ता व अन्य लोगों के विरूद्ध दीवानी मुकदमा सं. 205/25 व दीवानी विविध प्रार्थना–पत्र सं. 195/25 सोहनलाल व अन्य बनाम रोशनलाल व अन्य के नाम से प्रस्तुत किया, जिसमें प्रत्यर्थीगण सं. 2 व 3 ने मूल दावे में मय शपथ–पत्र तथा विविध प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र मे यह जानते हुए कि इसमे दर्शाये कथन पूर्णतः गलत असत्य व भ्रामक है, इनके आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्यर्थीगण सं. 2 व 3 ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कख) सं. 1. अजमेर के समक्ष चल रहे प्रकरण सोहनलाल बनाम रोशनलाल व अन्य के प्रकरण मे यही आधार लिये हैं। सम्बन्धित न्यायालय ने सोहनलाल के द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना–पत्र निरस्त किया। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध सोहनलाल बनाम रोशनलाल व अन्य के नाम से अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश, अजमेर द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 के आचरण को देखते हुये विस्तृत आदेश कर अपील खारिज की गई। निगरानीकर्ता ने प्रत्यर्थीगण सं. 2 व 3 के आचरण को देखते हुये उनके द्वारा किये गये झूठे दावो एवं विविध प्रार्थना पत्रों मय शपथ–पत्रों के आधार पर धारा 379 बी.एन.एस.एस. के तहत परिवाद माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त परिवाद दर्ज कर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिये जाने का आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त धारा की मंशा अनुसार कार्य नहीं कर कानूनी त्रुटि की है, क्योंकि उपरोक्त धारा में अप्रार्थी की सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं हैं। न्यायालय को परिवादी को सुनकर उस पर कार्यवाही करनी होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त State Of Punjab VIS Jasbir Singh (2020) 12 SCC

Authenticated Document

96 की ओर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी उपरोक्त आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार कर दिनांक 28.03.2026 को पारित आदेश को अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये जाये।

3– बहस निगरानी सुनी गई।

4– दौराने बहस निगरानीकार के द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने निगरानीकर्ता व अन्य लोगों के विरुद्ध एक दीवानी मुकदमा व दीवानी विविध प्रार्थना–पत्र सोहनलाल व अन्य बनाम रोशनलाल व अन्य के नाम से प्रस्तुत करते हुए दावा व विविध प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र झूठे व असत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, संख्या 1, अजमेर के समक्ष चल रहे प्रकरण सोहनलाल बनाम रोशनलाल व अन्य के प्रकरण में इन्हीं तथ्यों के बाबत आधार लिये एवं संबंधित न्यायालय के द्वारा सोहनलाल का विविध प्रार्थना–पत्र खारिज किया, जिसकी अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के द्वारा खारिज की गई। निगरानीकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के आचरण को देखते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये झूठे दावो और विविध प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के आधार पर एक परिवाद धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा परिवाद को दर्ज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर दिया, जो आदेश दिनांक 28.03.2026 को पारित किया गया, जबकि धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अप्रार्थी को सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय को परिवादी को सुनकर उक्त प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही की जानी है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.03.2026 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए तलब करने का जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है, इसलिये निगरानीकार के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 28.03.2026 को अपास्त कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया जाये। अपने तर्कों के

Authenticated Document

समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये –

1– Dharamdas s/o Melumal Ramani Vs. State of Maharashtra through Police Station, Ajni, Nagpur and another, BOMBAY HIGH COURT NAGPUR BENCH: NAGPUR, CRIMINAL APPLICATION (APPW) NO.192 OF 2015 IN CRIMINAL WRIT PETITION NO.297 OF 2011

2– THE STATE OF PUNJAB VERSUS JASBIR SINGH, CRIMINAL APPEAL NO. 335/2020, SUPREME COURT OF INDIA

5– इसके विपरीत अधिवक्ता गैर निगरानीकारान के द्वारा यह तर्क दिया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिनांक 28.03.2026 को पारित किया है, वह विधिनुसार पारित किया गया है और अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दी जाकर जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि आदेश दिनांक 28.03.2026 को पारित किये जाने में कारित नहीं की गई है। निगरानीकर्ता उक्त निगरानी याचिका के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाये।

6– दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 28.03.2026 व पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु है किः–

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.03.2026 अवैध, अशुद्ध व औचित्यहीन होकर कार्यवाही की अनियमितता से ग्रस्त है अथवा नहीं ?

8– निगरानीकार के द्वारा हस्तगत याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.03.2026 को पारित आदेश, जिसमें प्रार्थी

रोशनलाल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को दर्ज करते हुए अप्रार्थी पक्ष को नोटिस के जरिये तलब करने हेतु पारित किया गया है, उसके विरुद्ध पेश की गई है। मुख्य रूप से निगरानीकार का यह कथन रहा है कि धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी पक्ष को तलब करने और उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय को उक्त प्रावधान के अनुसार परिवादी पक्ष को ही सुनकर कार्यवाही की जानी है। प्रकरण में निगरानीकर्ता के द्वारा धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवाद प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी व अन्य वारिसान के विरुद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), पश्चिम अजमेर के समक्ष सोहनलाल व अन्य बनाम रोशनलाल व अन्य के नाम से दीवानी मुकदमा संख्या 205/25 व दीवानी विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 195/25 प्रस्तुत किया गया, जिसमें दोनों अप्रार्थीगण ने अपना निवास मकान संख्या 387/02 दर्शाया, जबकि दोनों मकान संख्या 367/02 में अन्य के साथ निवास कर रहे हैं और उनके द्वारा दावे में अनुतोष चाहा कि उन्हें मकान संख्या 387/02 से बेदखल नहीं करें, न ही उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें तथा अस्थाई निषेधाज्ञा में इसी प्रकार का अनुतोष चाहा। वाद–पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में दोनों अप्रार्थीगण ने अपना शपथ–पत्र पेश किया कि दोनों मकान संख्या 387/02 में मुकदमा दायर करने के दिन से पूर्व निवास कर रहे हैं। उपरोक्त दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र झूठे व असत्य कथनों पर आधारित है। दोनों के शपथ–पत्र भी झूठे कथनों पर आधारित हैं। अप्रार्थीगण ने वाद–पत्र व प्रार्थना–पत्र में दर्शाये कथनों के आधार पर माननीय न्यायालय से झूठे आदेश पारित करने की नीयत से व प्रार्थी व अन्य वारिसान को उपरोक्त आदेश के तहत बेदखल करने की नीयत से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, निगरानीकार के द्वारा गैर निगरानीकर्ता के विरुद्ध धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिवाद प्रस्तुत किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.03.2026 को यह आदेश पारित किया गया कि **"प्रार्थी रोशनलाल जरिये अधिवक्ता श्री विनोद कुमार गौड हाजिर अदालत के द्वारा दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,**

बरखिलाफ विपक्षीगण संख्या 1–सोहनलाल पुत्र स्व. श्री पन्नालाल उम्र 89 वर्ष व 2–जानकीलाल पुत्र सोहनलाल उम्र 50 वर्ष, निवासीगण 367/2, कमला बावडी, गंज अजमेर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश कर अग्रिम कार्यवाही का निवेदन किया है। सुना गया। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर यह पत्रावली वास्ते देखने तामील दिनांक 20.04.2026 को पेश हो।"

9– विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह अन्तरवर्ती आदेश है और अन्तरवर्ती आदेश के विरुद्ध हस्तगत निगरानी याचिका धारा 438(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पोषणीय नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह अन्तरवर्ती आदेश होने से पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। जो न्यायिक दृष्टांत (1)–Dharamdas s/o Melumal Ramani Vs. State of Maharashtra through Police Station, Ajni, Nagpur and another, BOMBAY HIGH COURT, NAGPUR BENCH: NAGPUR, CRIMINAL APPLICATION (APPW) NO.192 OF 2015 IN CRIMINAL WRIT PETITION NO.297 OF 2011 एवं (2)–THE STATE OF PUNJAB VERSUS JASBIR SINGH, CRIMINAL APPEAL NO. 335/2020, SUPREME COURT OF INDIA निगरानीकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, वे इस स्तर पर हस्तगत प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से निगरानीकार की कोई सहायता नहीं करते हैं। इस प्रकार, निगरानीकार के द्वारा जो निगरानी याचिका आदेश दिनांक 28.03.2026 के विरुद्ध पेश की गई है, उक्त आदेश अन्तरवर्ती आदेश होने से हस्तगत निगरनी याचिका के माध्यम से निगरानीकार कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

10– अतः निगरानीकार रोशनलाल की ओर से आक्षेपित आदेश दिनांकित 28.03.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

Authenticated Document

11– आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब भिजवाई जावे।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–4, अजमेर

12– आदेश आज दिनांक 21.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–4, अजमेर

Jamsheed Ahmed
Digitally signed by Jamsheed Ahmed
Date: 2026.07.21 16:41:14 +0530

Authenticated Document